न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फा0 ट्रै0) चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा शर्मा(R.A.S.)
प्रार्थना पत्र संख्या :– 428/17/09

उनवान

रामनारायण पुत्र जैला, जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर(राज.) (मृतक दौराने प्रार्थना पत्र)

1. रुडी देवी पत्नि स्व. रामनारायण।
2. नाना देवी (फौत) पुत्री स्व0 रामनारायण।
   - 2/1. किरण पुत्री स्व. नाना देवी
   - 2/2. किन्तु पुत्री स्व. नाना देवी नाबालिग जरिये संरक्षक पिता रामसरण।
   - 2/3. कृष्ण पुत्र स्व. नाना देवी नाबालिग जरिये संरक्षक पिता रामसरण।
3. पतासी देवी पुत्री स्व. रामनारायण
4. गोपाल पुत्र स्व. रामनारायण
5. सुवालाल पुत्र स्व. रामनारायण
6. मनभरी देवी पुत्री स्व. रामनारायण
7. सुमन पुत्री स्व. रामनारायण

–प्रार्थीगण

बनाम

1. हनुमान सहाय पुत्र जेला
2. सुरजमल पुत्र जेला
3. ग्यारसी बेवा पुत्र जेला
4. सोनी देवी पत्नि बाबूलाल पुत्र जैला
5. पिंकी पुत्री बाबुलाल नाबालिक जरिये संरक्षिका माता सोनी देवी पत्नि बाबूलाल
6. सजना पुत्री बाबुलाल नाबालिक जरिये संरक्षिका माता सोनी देवी पत्नि बाबूलाल
7. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक :–11.01.2018

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की आराजी भूमि हाल खाता संख्या 108 जिसके हाल खसरा नम्बर 1747 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1748 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1753 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1754 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1765 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1766/2664 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1803 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1806 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता 8 का कुल रकबा 1.35 हैक्टेयर वाके ग्राम जैतपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित है उपरोक्त आराजीयात ही उक्त प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त है। विवादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का 1/5 हिस्सा निहित है तथा शेष हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 का शामलाती निहित है। इस प्रकार प्रार्थी विवादग्रस्त आराजीयात के रिकार्डेड रुप से काबिज खातेदार काश्तकार पेश व्यक्ति है एवं शेष भूमियों के अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 रिकार्डेड रुप से संयुक्त रुप खातेदार काश्तकार है। जिसको प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 मनबट के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा विवादग्रस्त भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग कर शामलाती रुप से राज्य सरकार को लगान अदा कर रहे है उकत विवादग्रस्त आराजीयात का आज दिन तक भी बाई

Scanned by CamScanner

मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर तकासमा नहीं हुआ है।प्रार्थी गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो विवादग्रस्त आराजीयात के अपने हक हिस्से पर काबिज होकर के काश्त कर अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करता हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 विवादग्रस्त आराजीयात के प्रार्थी को उसके हक हिस्से से वंचित कर अविभाजित विवादग्रस्त आराजीयात के विशिष्ट भू–भाग को उंची कीमतो पर बेचने पर आमादा है जिस कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 आये दिन प्रार्थी को विवादग्रस्त आराजीयात के उसके हक हिस्से के उपयोग उपभोग में व्यवधान करते रहते हैं तथा यह धमकी देते रहते है कि या तो वह अपनी हिस्से की भूमि हमें सस्ते दामों पर बेच दे अन्यथा वे उनको उनके हिस्से की कृषि आराजीयात से बेदखल कर देंगे इस आशय से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 एकराय व संगठित होकर विवादग्रस्त आराजीयात पर दिनांक 27.01.2009 को मौके पर आये विवादग्रस्त आराजीयात को कुछ दिगर अजनबी व्यक्तियों को विक्रय करने बाबत् दिखाने लगे जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 से निवेदन किया कि उक्त विवादग्रस्त आराजीयात का अभी तक विधिवत तकासमा नहीं हुआ है इसलिए ऐसी स्थिति में तुम विवादग्रस्त आराजीयात को दिगर एवं अजनबी व्यक्तियों को क्यों बेच रहे हो तब इस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 उग्र हो गये तथा प्रार्थी से लडाई झगडा करने पर आमदा हो गये तथा मौके पर ही विवादग्रस्त आराजीयात के विशिष्ट भू–भाग की तारबन्दी करने लगे जिसका विरोध प्रार्थी द्वारा करने पर उस समय तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 मौके पर से चले गये किन्तु जाते जाते एलानिया धमकी दे गये कि हम विवादग्रस्त आराजीयात पर फिर आयेंगे तथा विवादग्रस्त आराजीयात अथवा उसके विशिष्ट भू–भाग को शिघ्र ही विक्रय कर मौके पर कब्जा अन्य दिगर व्यक्तियों को संभला देंगे एवं उक्त कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लेंगे और प्रार्थी ने इसमें कोई ऐतराज किया तो अच्छा नहीं होगा। प्रार्थी को ऐसे में अधिकार है कि उक्त विवादित आराजीयात का बाई मिटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर तकासमा करवाये एवं अपने 1/5 हिस्से का पर्चा लगान अलग से कायम करवाये तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्ध करवाये की अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 विवादग्रस्त आराजीयात के विशिष्ट भू–भाग को अन्य दिगर व्यक्तियों को ना ता विक्रय करे ना ही हस्तानान्तरित करे, ना ही कब्जा संभलाये, ना ही कोई निर्माण कार्य करे, ना ही प्रार्थी के उपयोग उपभोग व आने जाने में व्यवधान कारित करे तथा ना ही अप्रार्थीगण संख्या 7 विवादग्रस्त आराजीयात बाबत किसी विक्रय पत्र या हस्तानान्तरण पत्र अपने सम्मुख प्रस्तुत होने पर उसे तस्दीक करे, ना ही अप्रार्थी संख्या 8 विवादग्रस्त आराजीयात बाबत राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन या परिवर्धन ही करे, उपरोक्त समस्त कृत्य अप्रार्थीगण ना तो स्वयं करे ना ही अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट, या वर्कमैन से करवाये अर्थात अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 विवादग्रस्त आराजीयात के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर तकासमा नहीं किया गया तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्ध नहीं किया तो उपरोक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 विवादग्रस्त आराजीयात को या उसके विशिष्ट भू–भाग को विधिवत तकासमा करवाये बिना ही अन्य दिगर व्यक्ति को विक्रय या हस्तानान्तरित कर देंगे या कब्जा संभलवा देंगे तथा कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लेंगे जिससे प्रार्थी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई करना किसी प्रकार सम्भव नहीं होगा।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 बावजूद तामिल अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तलबी होने पर अप्रार्थी 1 ता 6 ने जवाब प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण के हिस्से व कब्जेकाश्त को ध्यान में रखते हुऐ विभाजन किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। न्यायालय की अग्रिम कार्यवाही में भाग नहीं लेने अर्थात् अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस साबित होता है। प्रथम दृष्टया केस साबित होने के कारण अप्रार्थीगण को अगर पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण कभी भी प्रार्थी के साथ अपूर्तनीय क्षति कारित कर सकते है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संयुक्त रुप से रिकार्डेड खातेदार

Scanned by CamScanner

काश्तकार है ऐसी स्थिति में पक्षकारान एक दुसरे के कब्जे काश्त में दखलदांजी होने की पूरी–पूरी सम्भावना एवं विशिष्ट भू–भाग को बेचान हस्तानान्तरण हो सकते है जिससे वाद बाहुल्यता बढेगी, ऐसे में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर उभय पक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्ध किया जाता है कि वे ता फेसला मूल वाद विवादित भूमि हाल खाता संख्या 108 जिसके हाल खसरा नम्बर 1747 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1748 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1753 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1754 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1765 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1766/2664 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1803 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1806 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता 8 का कुल रकबा 1.35 हैक्टेयर वाके ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के मौका व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फा0ट्रे0)
चौमूँ

Scanned by CamScanner